कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 287 /FP/UK/ROAD/10979/2015 :देहरादूनः दिनांकः 10 अगस्त, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :–जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत नौली बैण्ड से ग्राम–नौली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.4025 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में। **PROPOSAL NO. - FP/UK/ROAD/10979/2015**

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्रांक–08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 231 / 2015 / एफ0सी0 / 1509 दिनांकः–09.10. 2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक–08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 231 / 2015 / एफ0सी0 / 1509 दिनांकः–09.10.2020 के द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी के पत्रांक 192 / 12–1 दिनांक 26.07.2023 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है : –

क्र. सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 192 / 12–1 दिनांक 26.07.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 192 / 12–1 दिनांक 26.07.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण :** (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 805 पौंधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आव यक धनराशि @ CA rate for 0.8050 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	(क) वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 192 / 12–1 दिनांक 26.07.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा 805 पौंधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 0.8050 ha area के अनुसार रु0 2,71,433. 00 (दो लाख इकत्तर हजार चार सौ तैतीस) मात्र चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1)**
	(ख) राज्य सरकार पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए इस कार्यालय में	(ख) वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 192 / 12–1 दिनांक 26.07.2023 के द्वारा

	प्रस्तुत करेगी।	अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुये गूगल मानचित्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–2)**
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आव यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरो पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन एवं और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य मे निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन एवं और स्तंभन की लागत तथा 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु धनराशि अग्रिम रूप से कैम्पा कोश मे जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
	(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WC (C) संख्याः 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30. 10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09. 05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **0.4025 है0** वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन में इस प्रस्ताव के तहत 0.4025 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य **रुपये 2,64,443.00 (दो लाख चौंसठ हजार चार सौ तैतालीस) मात्र की धनराशि** कैम्पा कोश में जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
	(ख) विशेशज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता प्रस्तुत की गई है। **(संलग्नक–3)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि मे पेडो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं पातन होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 29 trees से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 192/12–1 दिनांक 26.07.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 192/12–1 दिनांक 26.07.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानातरित/जमा किए जाएगे।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा होने वाली धनराशि ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से

		क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा की गई है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 192/12–1 दिनांक 26.07.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
10	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनिमय साइनेज लगाए जायेंगे।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 192/12–1 दिनांक 26.07.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 192/12–1 दिनांक 26.07.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 192/12–1 दिनांक 26.07.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 192/12–1 दिनांक 26.07.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेशतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 192/12–1 दिनांक 26.07.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। **(संलग्नक–4)**
15	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 192/12–1 दिनांक 26.07.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। **(संलग्नक–5)**
16	परियोजना कार्य के निश्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 192/12–1 दिनांक 26.07.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो लक्षित किया जायेगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 192/12–1 दिनांक 26.07.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 192/12–1 दिनांक 26.07.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 192/12–1 दिनांक 26.07.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–एफसी दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 192/12–1 दिनांक 26.07.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। **(संलग्नक–6)**
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 192/12–1 दिनांक 26.07.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। **(संलग्नक–7)**
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगीं। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 192/12–1 दिनांक 26.07.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। **(संलग्नक–8)**
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 192/12–1 दिनांक 26.07.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
24	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https:// parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh. nic/in/) पर अपलोड की गई है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 287 /FP/UK/ROAD/10979/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रूद्रप्रयाग।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।